

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
TRANSPORT DEPARTMENT**Notification**

The 31st August, 2005

No. S. O. 65/C.A. 59/1988/S. 65/2005.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (h) of sub-section (2) of section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and with reference to Haryana Government, Transport Department, notification No. S. O. 62/C.A. 59/1988/S. 65/2005, dated the 3rd August, 2005, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, namely :—

1. (1) These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, after rule 52, the following rule shall be inserted, namely :—

“52A. Exemption to farmers from payment of fees for registration of tractors/combine harvesters. section 65 (2) (h).—The Farmers in the State of Haryana shall be exempted from payment of fees for the issue and renewal of certificate of registration of tractors/combine harvesters, payable under Chapter IV of the Act.”

RAMENDRA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

भाग III

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 अगस्त, 2005

संख्या का० आ० 65/ के० अ० 59/ 1988/ घा० 65/ 2005.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 65 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 62/ के० अ० 59/ 1988/ घा० 65/ 2005, दिनांक 3 अगस्त, 2005, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2005, कहे जा सकते हैं।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 में, नियम 52 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“52अ. ट्रैक्टरों/कम्बाइन हार्वेस्टर्स के पंजीकरण के लिए फीस के भुगतान से किसानों को छूट धारा 65 (2) (ज).— हरियाणा राज्य में किसानों को ट्रैक्टरों/कम्बाइन हार्वेस्टर्स के पंजीकरण के प्रमाण-पत्र जारी करने तथा नवीकरण के लिए अधिनियम के अध्याय IV के अधीन भुगतान योग्य फीस के भुगतान से छूट होगी।”।

रामेन्द्र जाखू,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।